न्यायालय– सत्र न्यायाधीश कुशीनगर, स्थान–पड़रौना
सत्र परीक्षण सं0–339/14
सरकार बनाम सद्दीक मंसूरी
आरोप

मैं ए0के0 उपाध्याय, सत्र न्यायाधीश कुशीनगर, स्थान पड़रौना आप सद्दीक मंसूरी व श्रीमती जायदा खातून को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ।

1– यहकि दिनांक–23.06.09 को समय करीब 10.00 बजे रात में वहद मुकाम ग्राम हैरया बुजुर्ग, थाना कुबेरस्थान, जिला कुशीनगर में आपलोगों ने वादी मुकदमा गुलाब हुसेन की बड़ी बहन शाहजहॉ खातून जिसकी शादी आपमें से सद्दीक मंसूरी से हुयी थी, को दहेज की मांग को लेकर तथा भाभी जायदा खातून से अबैद् संबंध को लेकर ऐसा दुष्प्रेरित किया कि उसने अपनी आत्म हत्या कर ली। इसतरह से आपने धारा–306/34 भा0दं0वि0 के अंर्तगत दण्डनीय अपराध किया जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

और एतद् द्वारा आपको निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप के लिए आपका विचारण न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक 10.10.2014

(ए0के0 उपाध्याय)
सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर
स्थान–पड़रौना

अभियुक्त को आरोप पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप से इन्कार किये तथा विचारण की याचना किये है।

दिनांक–10.10.2014

(ए0के0 उपाध्याय)
सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर
स्थान–पड़रौना